निर्णय व इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 657/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सुगना देवी पुत्री स्व॰ श्री मोटाराम
2. प्रेम देवी पुत्री स्व॰ श्री मोटाराम
3. रसाल देवी पुत्री स्व॰ श्री मोटाराम

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम गोहन्दी, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर।
2. गोपाल लाल पुत्र स्व॰ श्री गुल्ला
3. रामधन पुत्र स्व॰ श्री गुल्ला
4. धर्मराज पुत्र श्री जयलाल
5. अश्विन पुत्र श्री जयलाल

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम गोहन्दी, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 51/2025 ब–उनवानी मोटाराम बनाम गोपाल व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

1. श्री नितेश गोयल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 16.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 51/2025 ब–उनवानी मोटाराम बनाम गोपाल व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री रामअवतार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद धारा–144 व 151 सी.पी.सी. का विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज आराजी का निर्णय डिक्री सहायक

जिला कलक्टर जयपुर

कलक्टर फागी का आदेश दिनांक 23.03.2002 खारिज होने से दावा दायरी से पूर्व ही राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति अंकन कराये जाने से संबंधित तहसीलदार को आदेश प्रदान किया जावे। मूल प्रकरण प्रार्थीगण के पिता स्व॰ श्री मोटाराम द्वारा गोपाल व अन्य के विरूद्ध एक वाद संख्या 296/96 (777/1998) दिनांक 23.09.1996 को सहायक कलक्टर फागी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रार्थीगण के पिता स्व॰ श्री मोटाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रार्थीगण के पिता को वाद पत्र में वर्णित आराजी के बावत हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा उक्त निर्णय के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की गयी तथा प्रार्थीगण के पिता उपरोक्त वर्णित आराजीयात के आज भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण तथा मोटाराम के अन्य विधिक वारिसान का उनके हिस्से 1/4 की भूमि पर भौतिक एवं वास्तविक कब्जा है, जिस पर वह निरन्तर बिना किसी बाधा एवं व्यवधान के काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत किया गया मूल वाद के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 से 5 द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर फागी को पुनः प्रेषित की गई तथा मूल वाद को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण के द्वारा सहायक कलक्टर फागी के समक्ष रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की व अन्य अप्रार्थीगण की तलबी जारी कर दी गई। इस प्रकार मूल वाद अभी विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में ना तो मोटाराम के विधिक वारिसान का कोई उल्लेख किया गया है और ना ही अप्रार्थीगण का कोई नाम एवं पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में उल्लेखित किया गया है तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 से 5 द्वारा दिनांक 07.04.2025 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 द्वारा ना तो स्व॰ मोटाराम के एवं ना ही मूल प्रकरण में पक्षकारान के संबंध में कोई नाम एवं पते अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने जरिये वकालतन उपस्थित हुये तथा जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने प्रथम पेशी पर ही दिनांक 27.08.2025 की आदेशिका उल्लेखित कर आवश्यक रूप से जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थीगण के अधिवक्ता को हिदायत दी गई तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.09.2025 नियत की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा एवं प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी से यह निवेदन किया गया कि उन्हे उक्त प्रार्थना पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर ही जवाब प्रस्तुत कर सकेंगे, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने आग्रह को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर जवाब प्रस्तुती हेतु दिनांक 03.09.2025 नियत कर दी गई। दिनांक 03.09.2025 को प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने के आधार पर विधिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई कि मूल प्रकरण के लंबित रहने की स्थिति में धारा 144 का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीयता नहीं रखता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता को निर्देशित किया कि वह ऐसी कोई कानूनी विधिक आपत्तियों का निस्तारण नहीं करेंगे, बल्कि मूल प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण दिनांक

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

23.09.2025 को कर देंगे, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णत विपरीत है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा मौखिक रूप से यह भी कथन किया एवं धमकी दी कि उनके पीठासीन अधिकारी से काफी निजी संबंध है तथा वह संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करवाते हुए उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी को उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करवाकर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को पूर्णतः समाप्त करवा देंगे। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा यह भी कहा गया कि ना तो उन्हे प्रकरण मे किसी प्रकार की बहस करवाने की आवश्यकता है और ना ही किसी पक्षकारान की तामील करवाने की आवश्यकता है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा जो धमकी प्रार्थीगण को दी गई, उससे प्रार्थीगण को यह पूर्णतः अंदेशा हो गया कि पीठासीन अधिकारी समस्त आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को पूर्णतः नजरअंदाज करते हुए अप्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने की नीयत से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो की पूर्णतः अवहेलना करते हुए प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद जो कि सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन है, के लम्बित रहने के दौरान ही दिनांक 23.09.2025 को प्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित कर उनके खातेदारी अधिकार को समाप्त कर देंगे। प्रार्थना पत्र में दिनांक 23.03.2002 के निर्णय से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बहाल करने के संबंध में उक्त आवेदन किया गया है, जबकि प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत किया गया मूल वाद सहायक कलक्टर फागी के समक्ष लम्बित है, ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से यह स्थिति है कि जहां मूल वाद विचाराधीन हो, वहां पर ही धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उस न्यायालय द्वारा ही प्रकरण में उचित आदेश पारित किया जा सकता है, जिसकी बखूबी जानकारी पीठासीन अधिकारी को है। अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी द्वारा लिखी गई आदेशिकाओं का उल्लेख करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पीठासीन अधिकारी स्वयं के स्तर पर कार्यवाही कर रहे है एवं मनमर्जी से तारीख पेशियां नियत की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर